म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/कपास/सीसीआई/3091 भोपाल,दिनांक 26/12/2019

प्रति,

संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
इंदौर

विषयः–न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत निगम की कपास मौसम 2019–20 की खरीदी के संबंध मे।

संदर्भः–भारतीय कपास निगम लिमिटेड का पत्र क्रमांक/भाकनि/मप्र/उमप्र/विप–क्रय/2019–20 दिनांक 05.12.2019

विषयान्तर्गत संदर्भित मेल का अवलोकन करना चाहेगे। भारतीय कपास निगम के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत निगम की कपास मौसम 2019–20 की खरीदी के संबंध मे मंडियो मे आवक बढ़ने के साथ–साथ निगम के खरीद परिचालन कार्य मे कई तरह की कठिनाइयो से अवगत कराया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रश्नाधीन मेल/पत्र मे उल्लेखित कठिनाईयो पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कपास की खरीदी मे उनके साथ समन्वय कर, सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/कपास/सीसीआई/3092 भोपाल,दिनांक 26/12/2019

प्रतिलिपि :–

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भाकनि
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा कार्यालय 452003 –इंदौर ,रेसकोर्स रोड ,ए-27 "कपास भवन"
दूरभाष : 2434136, 2547877 फैक्स : 0731-2530523 मेल : indore@cotcorp.com
वेबसाईट www.cotcorp.org.in Ministry Website : www.ministryoftextiles.gov.in निगमित पहचान संख्या U51490MH1970GOI014733

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक/भाकनि/मप्र/उमप्र/विप-क्रय/2019-20/ दिनांक 05.12.2019

श्री अशोक वर्माजी, mdmandiboard@gmail.com, jdmpsamb@gmail.com.
कमिश्नर/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, किसान भवन, 26 जेलरोड, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) – 462011

विषय : न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत निगम की कपास मौसम 2019-20 की खरीदी के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय कपास निगम की मध्यप्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न कपास मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कपास की खरीदी चल रही है । मंडियों में आवक बढ़ने के साथ-साथ निगम के खरीद परिचालन कार्य में कई तरह की कठिनाईयाँ आ रही है ।

(1) अभी हाल ही में अंजड केन्द्र पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया जिसमें वहाँ के स्थानीय व्यापारी अपने आपको किसान के रूप में प्रस्तुत करके ज्यादा भाव में निगम को कपास बेचने का प्रयास करते हैं और FAQ से निम्न स्तर की गुणवत्ता वाली कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य भाव पर खरीदने हेतु निगम के केन्द्र प्रभारियों पर दवाब बनाते हैं तथा निगम के प्रतिनिधि द्वारा गुणवत्ता मापदंड के अनुसार कपास न होने पर खरीदने से इंकार करने पर यही व्यापारी हंगामा एवं चक्काजाम जैसी स्थिति निर्मित करते हैं । इस संबंध में ऐसे व्यापारियों को मंडी स्तर पर ही प्रतिबंधित किया जाये तथा मंडी स्तर पर किसान की पहचान की जाये । निगम केवल किसानों के लिये कार्य करता है एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल किसानों को ही मिलना चाहिये, सुनिश्चित करता है । अत: यदि वास्तविक किसान जिसकी पहचान मंडी द्वारा की जायेगी, उसको किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो निगम उस किसान से वार्तालाप करके हरसंभव उसका निराकरण करेगा किन्तु किसी भी व्यापारी को निगम किसी भी स्थिति में Entertain नहीं करेगा ।

(2) निगम का अधिकारी जब मंडी में कपास की जाँच करता है तो वहाँ उपस्थित असामाजिक तत्व इसमें बाधायें खड़ी करते हैं और निगम के अधिकारी पर दवाब बनाते हैं कि निगम को किसी भी कपास को रिजेक्शन के बिना हर प्रकार का कपास खरीदना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है । निगम को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही खरीद कार्य करना पड़ता है ।

(3) जैसा कि आपको यह भी विदित है कि इस वर्ष मध्यप्रदेश शासन के ई-उपार्जन पोर्टल पर हमारा कार्य नहीं हो रहा है और किसानों द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करवाया गया है । अत: भारतीय कपास निगम अपने Apex portal पर किसानों का पंजीयन करके खरीदी कर रहा है, जिसका पूरा कार्य हमारे केन्द्र प्रभारियों द्वारा ही किया जा रहा है । ऐसे में किसानों से खरीदी गई कपास का समय पर भुगतान करना निगम का उत्तरदायित्व है । अत: हमारे केन्द्र प्रभारियों द्वारा खरीदी पश्चात की

प्रक्रिया जेसे – भुगतान इत्यादि संबंधी समस्त कार्यवाही समय पर करने के लिये राज्य प्रशासन को साथ लेते हुए किसानों के हित में खरीदी 1 या 2 दिन स्थगित की जा सकती है । अत: ऐसी स्थिति में यदि कानून और व्यवस्था बिगड़ती है तो स्थानीय प्रशासन हमारे निगम के अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान करे और हमारे अधिकारियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किये जायें ।

(4) यह भी उल्लेखनीय है कि निगम को खरीदी के पश्चात किसानों के बिल बनाने में जो दस्तावेज अनिवार्य हैं, जैसे – आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, यदि किसान 40 क्विंटल से अधिक उपज लाता है तो उसका जमीन रिकार्ड, खसरा नंबर इत्यादि सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाना संबंधित कृषि उपज मंडी समिति पूरा करवाये ताकि निगम उस किसान से कपास खरीदी का जल्द से जल्द बिना बना सके और उसे समय पर भुगतान प्राप्त हो सके । अत: किसानों से जो आवश्यक दस्तावेज निगम को आवश्यक है, उसके लिये मंडी समिति किसानों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे जिससे किसान अपनी कपास विक्रय के पश्चात आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना बिल/तकपट्टी लेकर जायें जिससे उनको समय पर भुगतान किया जा सके ।

आपकी जानकारी, सहयोग एवं निगम के अधिकारियों की सुरक्षा की अपेक्षा के साथ ....।

सधन्यवाद,

भवदीय
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(अर्जुन एस.दवे)
उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :-

1) डॉ. केदारसिंह, programmer.mpmandiboard@gmail.com
अपर संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

2069

2) श्री दीक्षित जी, mahendradixit28@gmail.com, bbmpin@gmail.com
उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
अपोजित न्यू जीडीसी कॉलेज, किला मैदान रोड, इंदौर (म.प्र.)

3) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, खरगोन, धामनोद, खंडवा, भीकनगाँव, अंजड, खंडवा, कुक्षी, सनावद, कसरावद, बड़वाह, करही, खेतिया, सिंघना, धरमपुरी, बाकानेर, सौंसर

4) निदेशक (विपणन), भाकनि, नवी मुंबई
5) मुख्य महाप्रबंधक (विपणन), भाकनि, नवी मुंबई
6) महा प्रबंधक (क्रय), भाकनि, नवी मुंबई
7) सभी केन्द्र प्रभारी